

कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी  
(महानिदेशक एवं महासयमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)  
जलेब चौक, जयपुर।

ई-मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141-2612593

Website: [http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards](http://home.rajasthan.gov.in/homeguards)

क्रमांक:-प.37(3075)गृरमु/पीएसएएल/2021/ 15322-398

दिनांक:- 27-10-2021

श्री रितुराज किशोर सिन्हा  
पुत्र श्री रविन्द्र किशोर सिन्हा  
मकान नं. 702, रिगवुड टॉवर, ओमेक्स फोरेस्ट,  
सेक्टर-92, नोयडा, जिला-गोतमबुद्ध नगर,  
उत्तर प्रदेश-201301

**विषय:- प्राईवेट सिक्यूरिटी अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एव राजस्थान प्राईवेट  
सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेन्स नवीनीकरण बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जाकर प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के तहत अनुज्ञप्ति संख्या 506/2011 दिनांक 05.12.2011 वैधता दिनांक 28.09.2021 को दिनांक 29.09.2021 से 28.09.2026 तक पांच वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जाकर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

**अनुज्ञप्ति की प्रमुख शर्त:-** धारा 09 के अन्तर्गत लाईसेन्सधारा संस्था अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के 06 माह के अन्दर अपने सुरक्षा कारोबार का क्रियाकलाप प्रारम्भ कर सूचना देगा तथा धारा 13(1)(i) की पालना में राज्य बीमा एवं प्रावधानी भविष्य निधि, सेवाकर रजिस्ट्रेशन व अंशदान भुगतान की सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। संस्था में धारा 10 के तहत नियोजित गार्ड्स/पर्यवेक्षक को निर्धारित अवधि में प्रेक्षित प्रशिक्षण नियम 08 के प्रावधानों के तहत दिलाया जाना सुनिश्चित करेगा एवं नियम 07 के अन्तर्गत चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। धारा 10(3) में वर्णित प्राथमिकता कम के अनुसार नियोजित किया जाना एवं नियम 15 के तहत रजिस्टर का संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि की समाप्ती से 45 दिवस पूर्व नियमानुसार आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो जाने या इससे पूर्व सिक्यूरिटी सम्बन्धित कार्य बन्द करने की स्थिति में मूल लाईसेन्स इस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस कार्यालय के स्थायी आदेश संख्या-। क्रमांक 121-125 दिनांक 10.02.2017, स्थायी आदेश संख्या-।। क्रमांक 126-162 दिनांक 10.02.2017 व आदेश क्रमांक 5144-5183 दिनांक 17.05.2017, स्थायी आदेश संख्या-।।। दिनांक 5473- 7073 दिनांक 22.03.2018 एवं परामर्शदात्री क्रमांक 6455 दिनांक 15.06.2020 एवं आदेश क्रमांक 3768 दिनांक 02.03.2021 तथा आदेश क्रमांक 7840 दिनांक 02.06.2021 की प्रति संलग्न है। नियंत्रक प्राधिकारी, (महानिदेशक) महोदय के निर्देशानुसार इनकी पालना भी सुनिश्चित की जावे।  
संलग्न-उक्तानुसार

(रविन्द्र सिंह)

डिप्टी कमाण्डेन्ट

प्राईवेट सिक्यूरिटी सैल,  
गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान,  
जयपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त पुलिस आयुक्त एवं समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त आवेदक को मैसर्स-सिस लिमिटेड (SIS LIMITED) के नाम से लाईसेन्स संख्या 506/2011 दिनांक 05.12.2011 वैधता दिनांक 28.09.2021 को दिनांक 29.09.2021 से 28.09.2026 तक नवीनीकरण किया गया है। आप यह सुनिश्चित करने का श्रम करावे कि लाईसेन्सधारी प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है।
2. समादेष्टा, गृह रक्षा, प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान को भेजकर लेख है कि समयानुसार उक्त एजेन्सी का निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
3. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
4. आयुक्त, क्षेत्रिय भविष्य निधि, निधि भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।

27/10/21

डिप्टी कमाण्डेन्ट

प्राईवेट सिक्यूरिटी सैल,  
गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान,  
जयपुर